रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24032020-218899
SG-DL-E-24032020-218899

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---|---|---|
| सं. 58] | दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2020/चैत्र 3, 1942 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 419 |
| No. 58] | DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2020/CHAITRA 3, 1942 | [N.C.T.D. No. 419 |

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

**दिल्ली विधान सभा सचिवालय**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 23 मार्च, 2020

**2020 की विधेयक संख्या 2**

**दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020**

वर्ष 2020–2021 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

**फा. सं. 21(52)/विनि. 2/2020/वि.स.स.–VII/वि./1803.**–भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**संक्षिप्त शीर्षक**

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2020 है।

**₹65000,00,00,000/– का वर्ष 2020–2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त**

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए **पैंसठ हज़ार करोड़ रुपयों** की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यो के सम्बन्ध में वर्ष 2020–2021

की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

**विनियोजन** 3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

## अनुसूची
**(धारा 2 और धारा 3 देखिए)**

**(₹ हजार में)**
**निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ**

| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **II** | | **III** | **IV** | **V** |
| 1 | विधान मंडल | राजस्व | 583500 | 9000 | 592500 |
| 2 | सामान्य प्र”ाासन | राजस्व | 9189850 | 160250 | 9350100 |
| 3 | न्याय प्र”ाासन | राजस्व | 11295300 | 3072100 | 14367400 |
| | | पूँजी | 100000 | 0 | 100000 |
| 4 | वित्त | राजस्व | 3155800 | 1000 | 3156800 |
| | | पूँजी | 2660000 | 0 | 2660000 |
| 5 | गृह | राजस्व | 8067700 | 7000 | 8074700 |
| | | पूँजी | 1153000 | 0 | 1153000 |
| 6 | ि”ाक्षा | राजस्व | 133493800 | 7000 | 133500800 |
| | | पूँजी | 3881400 | 0 | 3881400 |
| 7 | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | राजस्व | 63304240 | 270460 | 63574700 |
| | | पूँजी | 2821400 | 0 | 2821400 |
| 8 | समाज कल्याण | राजस्व | 84581300 | 400 | 84581700 |
| | | पूँजी | 16508600 | 0 | 16508600 |
| 9 | उद्योग | राजस्व | 5228950 | 550 | 5229500 |
| | | पूँजी | 32200 | 0 | 32200 |
| 10 | विकास | राजस्व | 30620821 | 2495 | 30623316 |
| | | पूँजी | 10159300 | 10000 | 10169300 |
| 11 | शहरी विकास और लोक निर्माण | राजस्व | 97004384 | 0 | 97004384 |
| | | पूँजी | 96843400 | 0 | 96843400 |
| 12 | ऋण | पूँजी | 15000 | 0 | 15000 |
| 13 | पें”ान | राजस्व | 30000 | 0 | 30000 |
| 15 | सार्वजनिक ऋण | राजस्व | 0 | 30618800 | 30618800 |
| | | पूँजी | 0 | 35111000 | **35111000** |
| | **याग** | | **580729945** | **69270055** | **650000000** |

## उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2020, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दिल्ली
21 मार्च, 2020

## विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

सी. वेलमुरूगन, सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd March, 2020

**BILL No. 2 OF 2020**

**THE DELHI APPROPRIATION (No. 2) BILL, 2020**

**A BILL** to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2020-2021.

**F. No. 21(52)/Apprn. 2/2020/LAS-VII/Leg./1803.—**BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy First Year of the Republic of India as follows:-

**Short title.**

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2020.

**Issue of ₹65000,00,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2020-2021.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees Sixty Five Thousand Crore Only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2020-2021 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

**Appropriation.**

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

**SCHEDULE**

**(See sections 2 and 3)**

**(₹ In thousand)**

**SUMS NOT EXCEEDING**

| Demand No. | Services and Purposes | | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | | III | IV | V |
| 1 | Legislative Assembly | Revenue | 583500 | 9000 | 592500 |
| 2 | General Administration | Revenue | 9189850 | 160250 | 9350100 |
| 3 | Administration of Justice | Revenue | 11295300 | 3072100 | 14367400 |
| | | Capital | 100000 | 0 | 100000 |
| 4 | Finance | Revenue | 3155800 | 1000 | 3156800 |
| | | Capital | 2660000 | 0 | 2660000 |
| 5 | Home | Revenue | 8067700 | 7000 | 8074700 |
| | | Capital | 1153000 | 0 | 1153000 |
| 6 | Education | Revenue | 133493800 | 7000 | 133500800 |
| | | Capital | 3881400 | 0 | 3881400 |
| 7 | Medical and Public Health | Revenue | 63304240 | 270460 | 63574700 |
| | | Capital | 2821400 | 0 | 2821400 |
| 8 | Social Welfare | Revenue | 84581300 | 400 | 84581700 |
| | | Capital | 16508600 | 0 | 16508600 |
| 9 | Industries | Revenue | 5228950 | 550 | 5229500 |
| | | Capital | 32200 | 0 | 32200 |
| 10 | Development | Revenue | 30620821 | 2495 | 30623316 |
| | | Capital | 10159300 | 10000 | 10169300 |
| 11 | Urban Development and Public Works | Revenue | 97004384 | 0 | 97004384 |
| | | Capital | 96843400 | 0 | 96843400 |
| 12 | Loans | Capital | 15000 | 0 | 15000 |
| 13 | Pensions | Revenue | 30000 | 0 | 30000 |
| 15 | Public Debt | Revenue | 0 | 30618800 | 30618800 |
| | | Capital | 0 | 35111000 | 35111000 |
| | **Total** | | **580729945** | **69270055** | **650000000** |

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2020 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2020-2021.

Delhi

21st March, 2020

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2020 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

C. VELMURUGAN, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.24 22:30:41 +05'30'